विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-16/15

प्रोफेसर रामेश्वर नाथ — आवेदक
जी–1, आस्था रेसीडेंसी, शिव सिटी सिल्वर,
आई.पी.एस. अकादमी के पास, ए.बी. रोड,
इंदौर–452017 (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रबंध संचालक, — अनावेदकगण
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जीपीएच कम्पाउण्ड, पोलो ग्राउण्ड,
इंदौर–452003 (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 30.11.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0288814 प्रोफेसर, रामेश्वर नाथ विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 27.1.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 उभय पक्षों को दिनांक 11.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया, जिसमें आवेदक तथा अनावेदक दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

03 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा अपने असंतोष का कारण मुख्यतः स्थायी कनेक्शन की मांग के विरूद्ध उन्हें अस्थायी कनेक्शन दिया गया तथा अस्थायी कनेक्शन भी घरेलू श्रेणी का न देकर गैर घरेलू श्रेणी का दिया गया।

04 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर का दिनांक 21.8.2012 को मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर उन्हें अस्थायी गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन से घरेलू स्थायी कनेक्शन का उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण बताया गया तथा इस आधार पर की गई बिलिंग से वे सहमत नहीं हैं।

05 तर्क के दौरान अनावेदक की ओर से बताया गया कि आवेदक द्वारा जिस स्थान के लिए विद्युत कनेक्शन की मांग की गई थी उस कालोनी का विद्युतीकरण पूरा नहीं हुआ था। अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2006 की कंडिका 4.14 के अनुसार अविद्युतीकरण क्षेत्र में विभाग द्वारा अस्थायी कनेक्शन दिया जाता है । परन्तु अनावेदक से पूछने पर कि आवेदक को विद्युत कनेक्शन अस्थायी कनेक्शन गैर घरेलू श्रेणी का क्यों दिया गया, जबकि आवेदक द्वारा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत कनेक्शन चाहा है। जिस पर अनावेदक कोई संतोषजनक प्रति उत्तर प्रस्तुत नही कर सका।

06 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 21.8.2012 को मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उनके परिसर का निरीक्षण करने पर अस्थायी गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन से घरेलू श्रेणी के कनेक्शन से विद्युत का उपयोग करना पाया गया। अतः उनके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया गया जिसकी सुनवाई उक्त अधिनियम के तहत गठित समिति के सामने की जाना होती है तथा विद्युत लोकपाल को इस पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

07 आवेदक द्वारा दिनांक 11.8.2015 को सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं पर प्रतिवेदन देने हेतु अनावेदक द्वारा समय चाहा गया था । अनावेदक को दिनांक 18.8.2015 तक का समय दिया गया तथा कहा गया इस अवधि में एक बार आवेदक के साथ बैठकर उनके बिन्दुओं पर पुनः समीक्षा करें तथा प्रकरण का हल निकालें।

08 विभिन्न तिथियों में उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं विद्युत लोकपाल द्वारा विषयांतर्गत कालोनी के संबंध में चाही गई जानकारी के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि –

अ आवेदक द्वारा दिनांक 6.8.2010 को घरेलू उपयोग हेतु घरेलू श्रेणी का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया था जिसके विरूद्ध आवेदक को गैर घरेलू श्रेणी का अस्थायी विद्युत कनेक्शन अनावेदक द्वारा दिया गया।

ब आवेदक का परिसर शिव सिटी कालोनी में स्थित है जिसका कि बाह्य विद्युतीकरण का प्राक्कलन मई, 2009 में स्वीकृत करके कालोनी को जून 2013 में चार्ज करने की अनुमति विभाग द्वारा दी गई तथा इस कालोनी में उपयोग हेतु प्रथम कनेक्शन जुलाई, 2013 दिया गया।

स शिव सिटी कालोनी के परिसर में एक अन्य बहुमंजिला भवन आस्था रेसीडेंसी के विद्युतीकरण की स्वीकृति दिसंबर 2013 में दी गई जिसका कि कार्य अप्रेल 2014 तक कोलोनाइजर द्वारा पूरा किया गया।

द अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि शिव सिटी कालोनी एवं आस्था रेसीडेंसी बहुमंजिला भवन मेसर्स गणेश रियल मार्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है तथा जिनके डायरेक्टर श्री सुनील ताराचंद मंदवानी हैं।

च आवेदक को अप्रेल 2013 में घरेलू अस्थायी कनेक्शन दिया गया तथा फोरम में प्रकरण चलने के दौरान फोरम द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आवेदक को जनवरी, 2015 में स्थायी घरेलू कनेक्शन दिया गया।

उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

09 यद्यपि आवेदक द्वारा दिनांक 6.8.2010 को घरेलू श्रेणी हेतु स्थायी कनेक्शन की मांग की गई जबकि अनावेदक द्वारा अस्थायी गैर घरेलू श्रेणी का कनेक्शन जारी किया गया जो नियमानुसार नहीं है। अनावेदक द्वारा विद्युत उपयोग को देखते हुए उन्हें अस्थायी घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना था।

10 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2009 (पुनरीक्षण प्रथम) के अध्याय 4 (घ) की कंडिका 4.4.1 में इस बात का उल्लेख है कि अविद्युतीकरण कालोनी में अथवा बहुमंजिला भवन के विद्युतीकरण न होने के कारण निवासियों को दीर्घ अवधि हेतु विद्युत प्राप्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन प्राप्त करने होते थे। इससे उपभोक्ताओं को काफी कष्ट होता था। अतः विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को जो नवीन संयोजन के इच्छुक हों, की कठिनाईयों के निवारण हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे आवेदक हेतु अविद्युतीकृत आवासीय कालोनी में विद्युत प्रदाय के विस्तार के लिए आवश्यक अधोसंरचना हेतु प्रक्रिया नियत की है। इस प्रकरण में शिव सिटी कालोनी में जून 2013 से विद्युत अधोसंरचना उपलब्ध हो चुकी थी तथा आस्था बहुमंजिला भवन के विद्युतीकरण हेतु अधोसंरचना अप्रेल 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी। चूंकि उपरोक्त दोनों परिसरों का विस्तार एक ही कॉलोनाइजर द्वारा किया जाकर अधोसंरचना उपलब्ध कराई गई, को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जून 2013 से घरेलू उपयोग हेतु स्थायी कनेक्शन जारी किया जा सकता था। परन्तु आवेदक को अप्रेल 2013 में पुनः घरेलू

उपयोग हेतु अस्थायी कनेक्शन दिया गया था एवं फोरम में प्रकरण के चलते हुए फोरम के निर्देशानुसार जनवरी 2015 में स्थायी घरेलू करनेक्शन दिया गया जबकि आवेदक को जून 2013 से ही घरेलू उपयोग हेतु अस्थायी कनेक्शन दिया जा सकता था।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) आवेदक द्वारा दिनांक 6.8.2010 को दिए गए आवेदक पत्र के तहत घरेलू अस्थायी कनेक्शन दिया जाना मानते हुए जून 2013 तक निर्धारित टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जाए।

(ii) आवेदक को जुलाई 2013 से जब से कि शिव सिटी कालोनी में विद्युत कनेक्शन दिये जाने प्रारंभ किये गये थे, तब से घरेलू उपयोग हेतु स्थायी कनेक्शन देना मानते हुए बिलिंग संशोधित की जाए।

11 आवेदक के विरूद्ध सतर्कता अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान बनाये गये प्रकरण में विद्युत अधियनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत प्रकरण सक्षम समिति के सम्मुख विचाराधीन है। अतः इस पर सुनवाई करना विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

12 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल